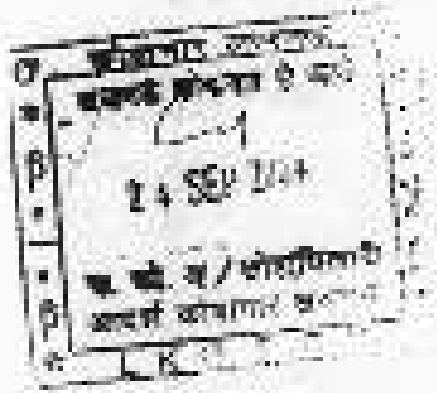




0300 302363



विक्रय विलेख

विक्रय मूल्य	: रु० 10,87,015/-
पटाल मूल्य	: रु० 3,15,000/-
रकम शुल्क	: रु० 1,00,000/-
परगना	: बिजनौर

यह विक्रय विलेख पञ्च पुत्र श्री राम जी शर्मा निवासी ग्राम बरुआ
नगर एवं बागियाऊ परगना-बिजनौर, तहसील ग जिला,



२५६ डी.डी. नं. १२३४

२५६ डी.डी. नं. १२३४

२५६ डी.डी. नं. १२३४

२५६ डी.डी. नं. १२३४

२५६ डी.डी. नं. १२३४

२५६ डी.डी. नं. १२३४

२५६ डी.डी. नं. १२३४

२५६ डी.डी. नं. १२३४

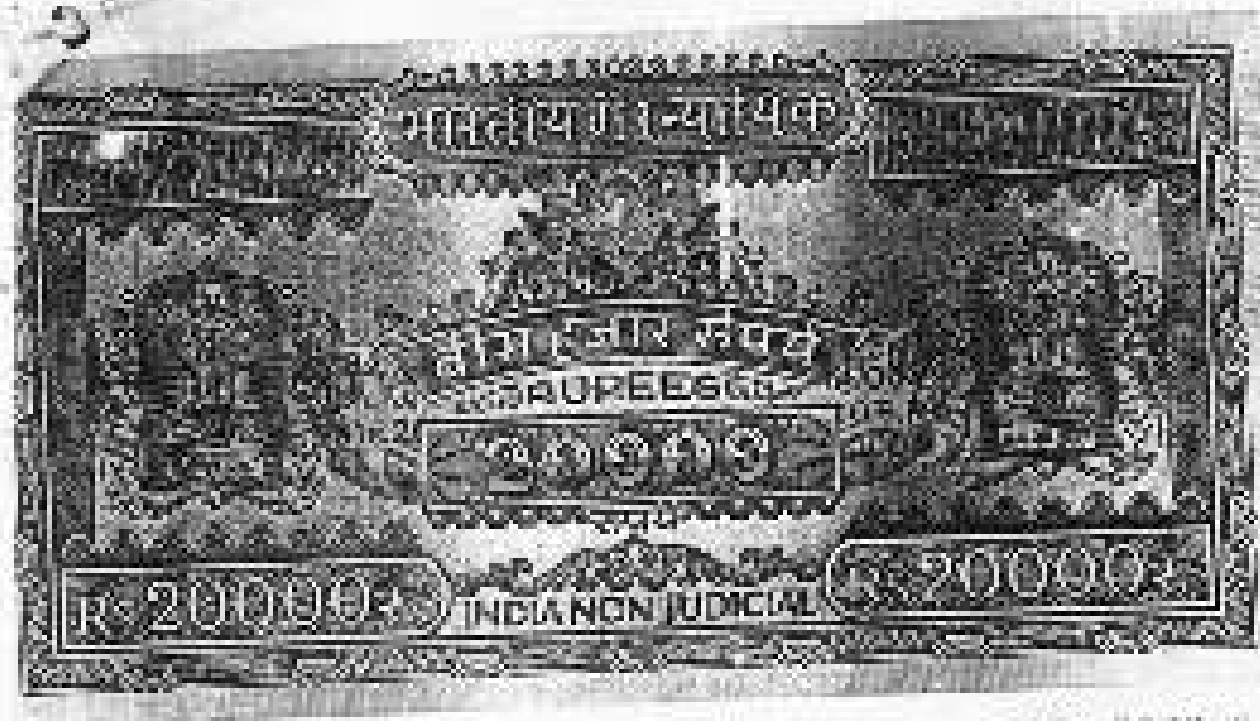
२५६ डी.डी. नं. १२३४
२५६ डी.डी. नं. १२३४
२५६ डी.डी. नं. १२३४
२५६ डी.डी. नं. १२३४
२५६ डी.डी. नं. १२३४
२५६ डी.डी. नं. १२३४

२५६ डी.डी. नं. १२३४
२५६ डी.डी. नं. १२३४

२५६ डी.डी. नं. १२३४

२५६ डी.डी. नं. १२३४
२५६ डी.डी. नं. १२३४
२५६ डी.डी. नं. १२३४
२५६ डी.डी. नं. १२३४
२५६ डी.डी. नं. १२३४
२५६ डी.डी. नं. १२३४





0000 000000



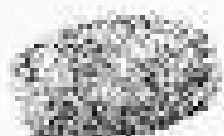
-2-

सहायक निम्न अंगे विक्रेता कला गया है. श्री हीरा जाल मुद्र श्री
रिव लली कोरी, निवासी-ग्राम मिर्जापुर मिलाटी,
पोस्ट-नीगाव, जिला फरीदपुर, उ०प्र० जिले अंगे अंता कला
गया है, की मध्य निष्पादित किया गया।

सह कि विक्रेता भूमि सहाय न० 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61 व 62 कुल सहाय 1.224 हेक्टर का
आवा मध्य जिला ग्राम सहाय नगर उर्फ बगिचागढ़, पटना



श्रीमान् न्यायिक



श्रीमान् न्यायिक

पुणे जिल्हा, अहमदनगर

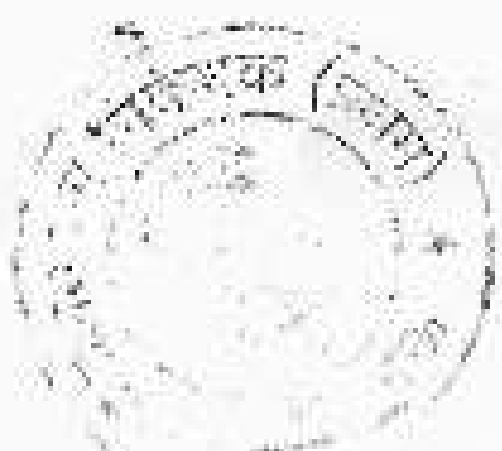
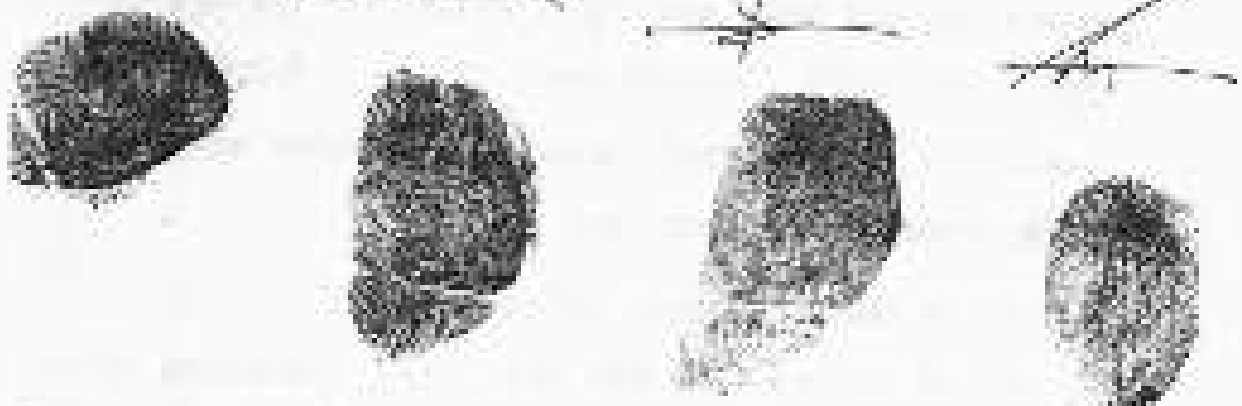
महाराष्ट्र शासन
अहमदनगर जिल्हा
अहमदनगर जिल्हा

अहमदनगर जिल्हा
अहमदनगर जिल्हा

अहमदनगर जिल्हा
अहमदनगर जिल्हा
अहमदनगर जिल्हा
अहमदनगर जिल्हा
अहमदनगर जिल्हा

अहमदनगर जिल्हा
अहमदनगर जिल्हा

अहमदनगर जिल्हा
अहमदनगर जिल्हा



अहमदनगर जिल्हा
अहमदनगर जिल्हा



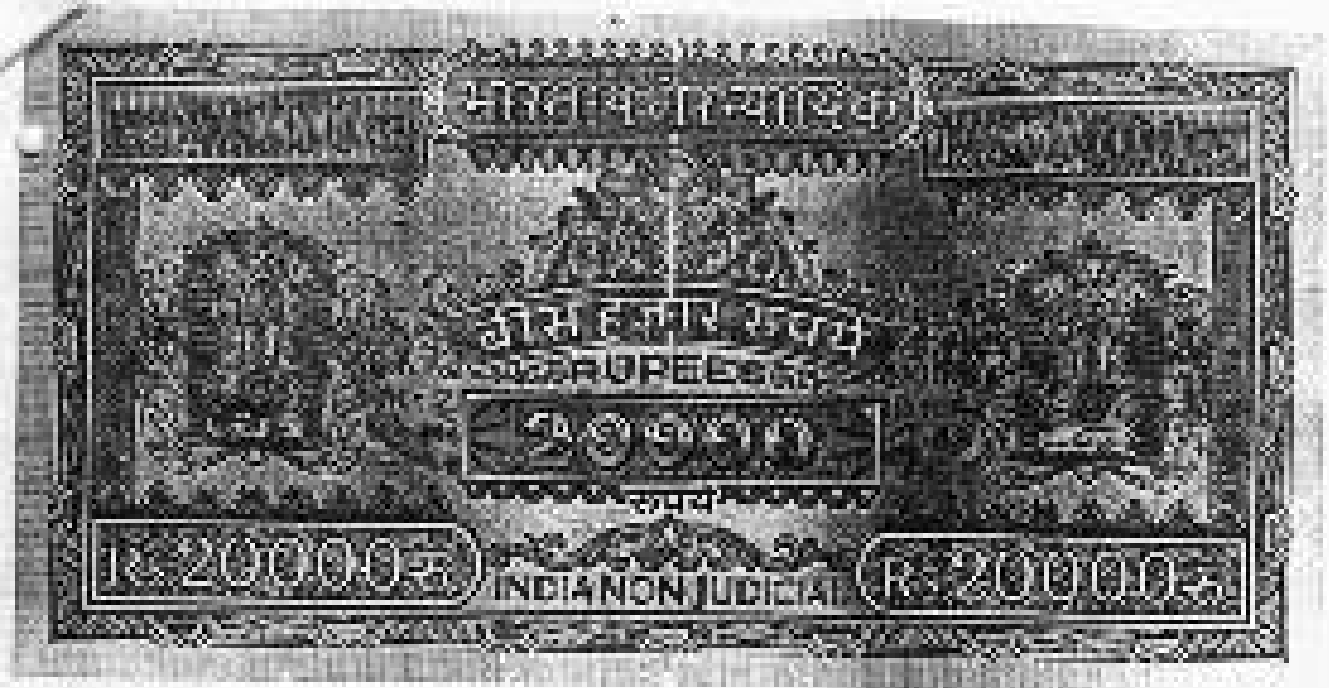
0300 302363



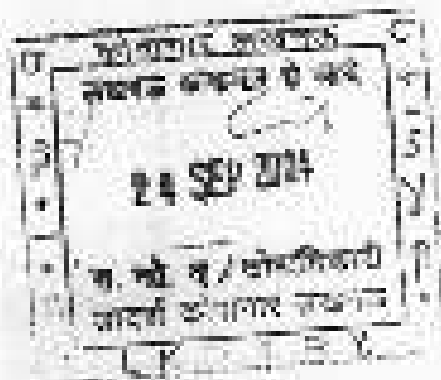
-3-

—सिलनीट तहसील व जिला, सखनक, के मालिक, कागिल व कागिल हैं तथा उपरोक्त सत्यापित गठवर्धक आता खलीनी तम संख्या 21 के अनुसार पन्ना को उक्त भूमि विरासतान अपने पिता श्री खन्नु की पत्नी के शर मिली है तथा भूमि का रिकॉर्ड के नाम का अपन दानद राजस्व अमिलेला में हो गया है। विवेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा कोता की इस विक्रय गिलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विवेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कागिल व कागिल हैं एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि खूबि भूमि है, और यह कि विवेता





8136302364



- 4 -

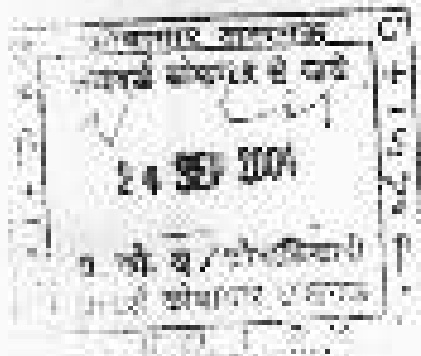
यह घोषित करते हैं, कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व सड़क है तथा किसी ने उसे इस विज्ञापन के पूर्व खरीद, ईजा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि का ठगना कोई मांग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यालयों के अन्तर्गत विवाद का दखल देयता नहीं है, न ही कुर्ब इत्यादि है। किसी के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का भला, बुरा या दावा इत्यादि नहीं है, एवं किसी को उक्त विज्ञापन अन्तर्गत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव


जिला अधिकारी


जिला अधिकारी



03CC 302365

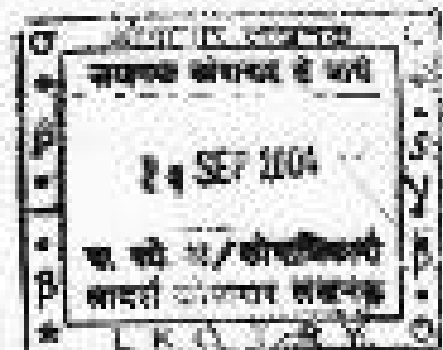


- 5 -

उपरोक्त संपत्ति के मूल्यांकन रु० 10,87,875/- (दस लाख सत्तासी हजार आठ सौ पचासतर रुपये) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त सेवा द्वारा विक्रेता की इस दिलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार मुगलान कर दिया गया है एवं जिला मजिस्ट्रेट को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते हैं, तदनुसार उक्त विक्रेता उक्त सेवा को इस उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस दिकय दिलेख के अन्त में अनुसूची में अन्तर्गत दिया गया है, को ब्याह देव दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुद्ध भूमि का

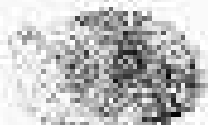


1000Rs



- 5 -

संघ पर संघीयता को बरतनी पाला दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विरोध तथा उसके विरुद्ध का कोई अधिकार नहीं है। विरोध के विरुद्ध संघीयता को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों को राज्य पूर्णतया व स्वतंत्रता के लिए संघीयता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब संघीयता विरुद्ध संघीयता एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने स्वतंत्र स्वामित्व व अधिकार व कर्तव्य में संघीयता के रूप में धारण एवं उपयोग व समझना लेंगे। विरोध उक्त विरोध प्रत्यक्ष की अवधान बाधा नहीं बना समझने एवं न ही कोई भाग कर



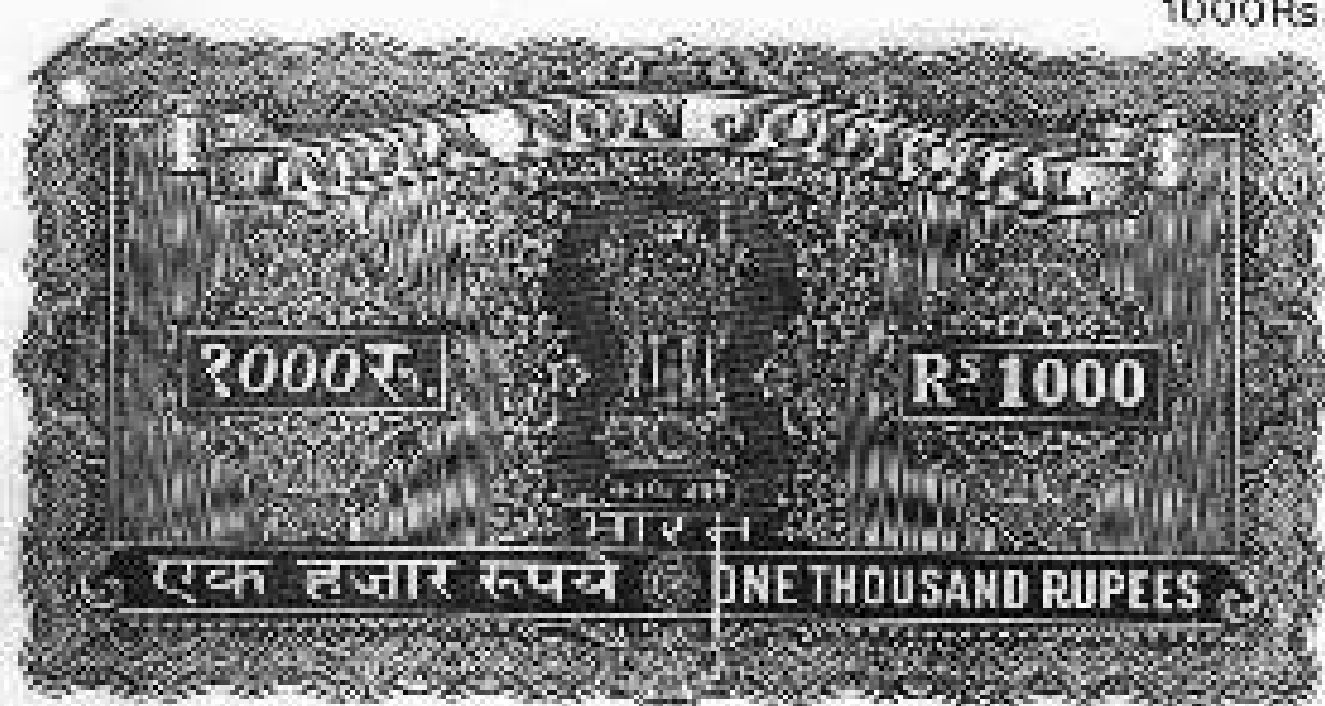
संघीयता है यही



सर्वोत्तम। और यदि विजयशुद्ध सम्पत्ति अथवा कोई भाग विजयता के स्वामित्व में भुटि के कारण या कानूनी अड़बट या कानूनी भुटि के कारण जाता या उसके वारिसान निष्पादक्याण इत्यादि के कब्जे या अधिग्रह या कब्जा से निकल जाये तो होता उसके वारिसान निष्पादक्याण इत्यादि को यह एक डोगा कि वह अपना समस्त भुक्तमान मद्य हर्जा व खर्चा, दिवरेता की बल, अचल सम्पत्ति से करिये अदाकत करसुन कर से। उस दिवस में विजयता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होंगे।

2000

1971-1972



- 8 -

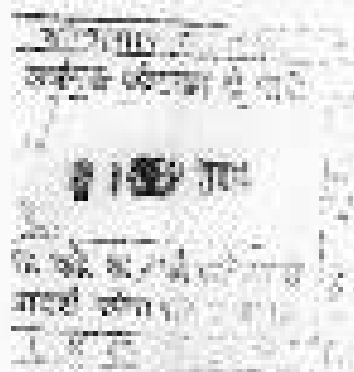
यह कि ब्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खातिर
 लज्जा अधिकारों में अपने नाम दर्ज करा लें तो बिना कोई
 जापसी न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पुरे का अगर
 कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होना तो
 उसको बिना भुगतान व पान करने, बिना कोई आपसी
 न होगी।

यह कि इससे पहले इसका नाम नगर निगम की सीमा की
 अर्जागत नहीं आता है किन्तु ग्राम चुसुफ नगर जहाँ बसियाभक्त

भारत सरकार
 क्र. 1000

एक हजार रुपये

5000Rs



174033

9.

अधेनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम में अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रु० १,००,०००/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से निर्धारित भूमि ०.६१२ हेक्टेयर की मामिलत रु० ६,१२,०००/- होती है। तथा दिखल भूख, भूमि की बाजार मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार भूख मूल्य पर ही रु० १,००,०००/- जनरल लक्ष्य अदा दिया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि भूमि के उपयोग के लिए तैयार की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ, बाजार, या निर्माण आदि नहीं है, तथा २०० पी० के अधिवास में





निदेशिका ४

१००

१००

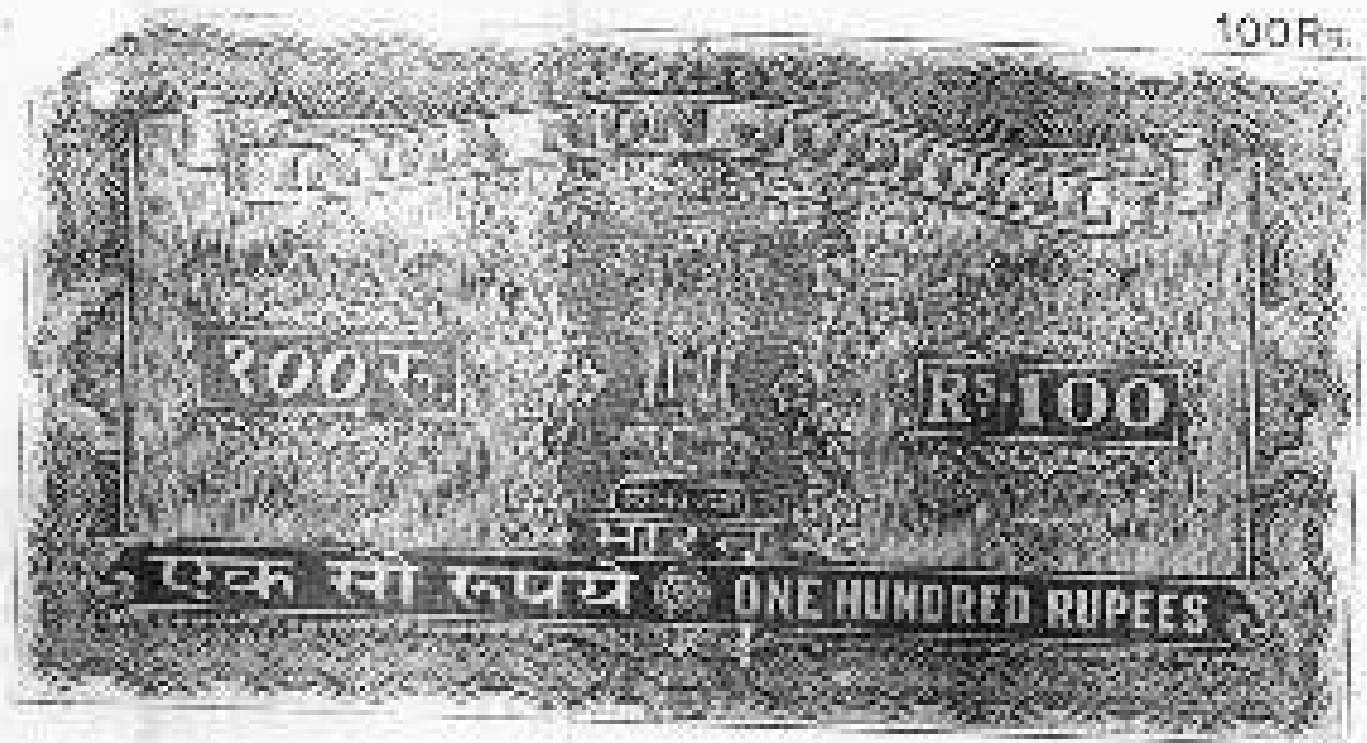
बाई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिफ्त मार्ग, राजमार्ग व जनमदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से लगभग दो किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। मिलेला व लेला अनुसूचित जातियों के स्वतंत्र हैं। इस विज्ञापन मिलेला के निश्चयन का समस्त व्यय लेला द्वारा वहन किया गया है।

लिखित यह विज्ञापन पत्र उन दिवसों में लेला के पक्ष में लिख दिया ताकि लाल रंगे और आवश्यकता पड़ने पर काम आये।

१००

१००

100R₹



पंजीकृत नं. १००
पंजीकृत नं. १००

१००/१००

-११-

परिशिष्ट - विवरण विमोचनार्थक सामग्री का विवरण

भूमि खाली नं. ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१
व ५२ कुल एकत्र १.२३४ हेक्टर का आधा भाग, स्थित ग्राम
शुभल नगर अर्ध बगीचासक, परगना - बिजौरा तहसील व जिला,
बल्लनगढ़, जिसकी सीमाएँ निम्न हैं।





12.

संख्या 52 से 63 तक रकम 0.612 सेप्टेंटर

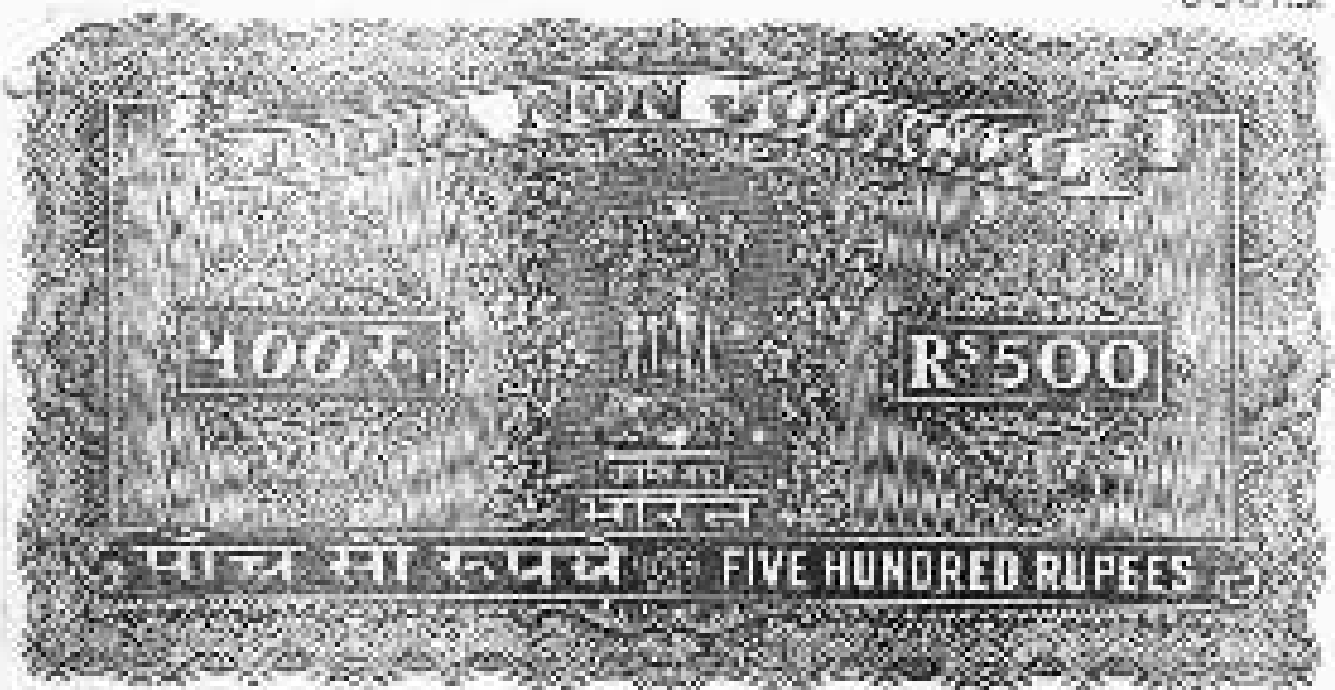
गुण	: संख्या संख्या-63
पश्चिम	: संख्या संख्या-50, 48 का भाग
उत्तर	: संख्या संख्या-31 व 63 का भाग
दक्षिण	: संख्या संख्या-64 व 48 का भाग



100R 100R



100R 100R



- 13 -

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

रकम 10,87,875/- लिमिटेड बिल लाख रकमासी हजार आठ सौ

मल्लिकार्जुन भाग्य द्वारा बैंक ऑर्डर संख्या-

दिनांकित

23.09.2004 काका नेशनल बैंक, हवरागंज, लखनऊ।



मुख्य निदेशक



मुख्य निदेशक

रिपोर्ट को भेजा से प्राप्त हुए तथा जिसकी प्राप्ति निकोना स्वीकार
काल है।

संलग्नक

दिनांक: 25.08.2024

गवाह

1.

(D.K. Singh) 
Raj Chandra Lal Singh
Lucknow

2.

()
Rajendra Singh
Rajendra Singh
Rajendra Singh
Rajendra Singh
Rajendra Singh
(राजेंद्र सिंह)


Rajendra Singh

राजेंद्र सिंह

महाविद्यालय
()
(रजेंद्र सिंह)
इसवीमेर

२०२१
 म. सु. नगर के विभिन्न अंक व राजा विजय
 म. सु. नगर के विभिन्न अंक

N
 W —+— E
 S



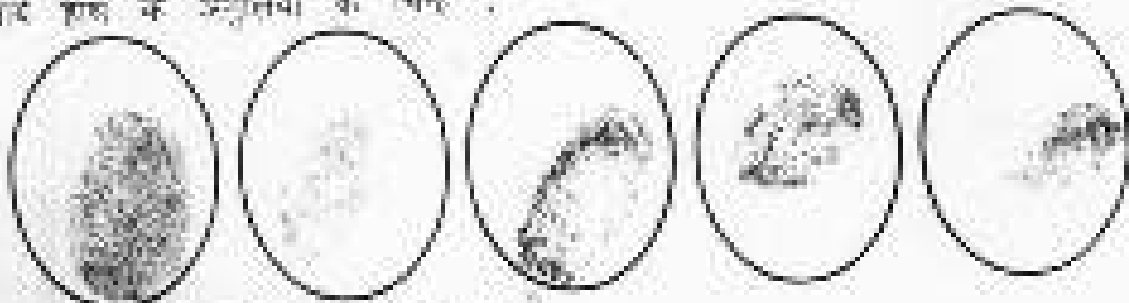
म. सु. नगर
 म. सु. नगर

म. सु. नगर
 म. सु. नगर

प्रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

अश्रुतकर्ता/विशेषता का नाम व पता : श्री. पी. प्रकाश कुमार, 100/1

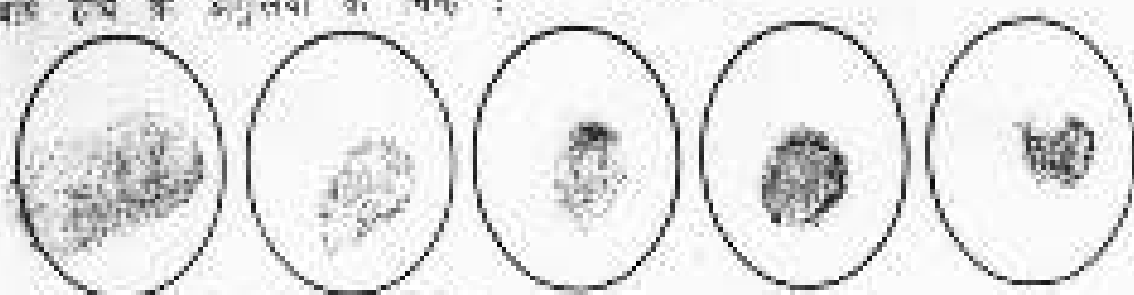
बाएँ हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :



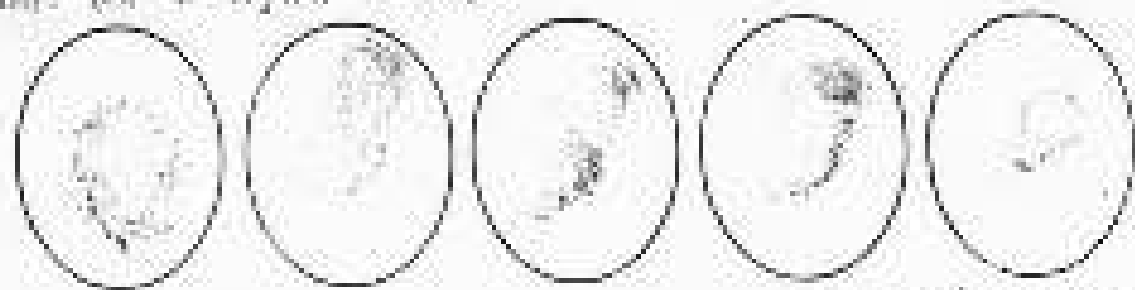
दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :



अश्रुतकर्ता/विशेषता का नाम व पता : श्री. प्रकाश कुमार, 100/1
मि. प्रकाश कुमार, 100/1
 बाएँ हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :



अश्रुतकर्ता/विशेषता का नाम व पता :

10/10/2020